भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)
कार्यालय-परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-गोरखपुर
देव बिला, सं0 3/40 बहार क्लस्टर-3, सहारा स्टेट, देवरिया बाईपास रोड, गोरखपुर-273010 (उ0प्र)
Office of the Project Director, Project Implementation Unit Gorakhpur
No. 3/40, Bahar Cluster-3, Sahara Estate, Deoria by Pass Road, Dist.- Gorakhpur - 273010 (U.P.)
दूरभाष/Tel. No. (0551) 2231040 ईमेल/email-gorakhpur@nhai.org.

सत्यमेव जयते

सं0 11033/गोरखपुर/वन-विभाग/ [illegible] /22-23/5284 दि० 01/09/2[illegible]

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग,
गोरखपुर।

विषय : जनपद – गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी0आई0यू0) गोरखपुर द्वारा सोनौली – गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29 ई के किमी. 0.00 से किमी. 81.204 तक के 4 लेन चौडीकरण में प्रभावित 8.3137 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 है0 अवर्गीकृत वन भूमि कुल 8.3746 है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 849 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ (1) : आपका पत्रांक–1123/2–6, दिनांक 08.09.2022

(2): कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पत्रांक :– 847/11– सी– FP/UP/ Road/ 138464/ 2021, लखनऊ दिनांक सितम्बर 05, 2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव आपके द्वारा बताया गया है जो कि हमारे द्वारा निम्नलिखित कमियों को दूर कर के आपके कार्यालय में प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव कि कुछ कमियां प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर द्वारा भी पूर्ण कि जानी है, जिससे प्रस्ताव को नोडल अधिकारी लखनऊ को भेजा सके :–

क्र0स0	कमियों/अभिलेखों	टिप्पणी
1	प्रस्ताव मे पातन होने वाले वृक्षे की सूची संलग्न है किन्तु व्यासवर्ग गलत अंकित है। अतः परियोजना में पातन होने वाले वृक्षों का ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित/सूची/सारांश प्रस्ताव में संलग्न करें।	परियोजना मे पातन होने वाले वृक्षों का ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार त्रुटी निस्तारित कर दी गई है।
2	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।
3	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (iv) में अपलोड कीगयी CA Sol Toppsheet प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।
4	प्रस्ताव में सम्बन्धित विभागों (रेलवे/सिंचाई) का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्वता संलग्न है, जो कि पर्याप्त नहीं है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	रेलवे/सिंचाई विभाग को भेजे गये पत्र कि प्रति संलग्न है,इसके अलावा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्माण समय में अलग से प्राप्त किया जायेंगा,

क्र0स0	कमियों / अभिलेखों	टिप्पणी
5	वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
6	रोड़ चौडीकरण के प्रस्ताव में रोड़ साईट पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्वता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
7	बाधक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से Entire Trtee Trasplant (ETT) `की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्वता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित चवनबद्वता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
9	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांकः5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।
10	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांकः 13 (i) में अपलोड की गई CA के0एम0एल0 फाईल Properly ओपन नहीं हो रही है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।
11	प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावति तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल फाइल अपलोड नहीं की गयी है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ फाइल एवं प्रस्तावित तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	पेनड्राइव में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में चिन्हित स्थल कि क0एम0एल0 फाइल संलग्न है

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव मे निम्नलिखित कमियों को उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण कर आपके कार्यालय में 05 प्रतियों में उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आपके द्वारा आवश्यक कार्यावाही कि जा सके और ऑनलाइन भाग–2 में इंगित कमियों को निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, लखनऊ को भेजने कि कृपा करें।

भवदीय

09/09

(सी0एम0 द्विवेदी)

महा प्रबन्धक (तक0) / परियोजना निदेशक।

प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक संख्या–1017/23–कोर्ट केस, दिनांक–11.11.2011 के कम में वांछित सूचना/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर में सोनौली–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी0 0.00 से किमी0 81.204 तक के 4 लेन चौड़करण में प्रयुक्त हो रहे 8.3137 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल 8.3746 हे0 आरक्षित/अवर्गीकृत वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है। आरक्षित/अवर्गीकृत वन भूमि के क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य कोई "वन स्वरूप" क्षेत्र चिन्हित नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

परियोजना निदेशक
पी0आई0यू0
गोरखपुर

Project Director
P I U N H A I
Gorakhpur

न्यूनतम वृक्ष पातन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर में सोनौली–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी0 0.00 से किमी0 81.204 तक के 4 लेन चौड़करण में प्रयुक्त हो रहे 8.3137 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल 8.3746 हे0 आरक्षित/अवर्गीकृत वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में कम से कम वृक्षों के पातन की वचनबद्धता दी जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

परियोजना निदेशक
Project Director
पी0आई0यू0
PIU NHAI
गोरखपुर

Entire Tree Transplants (ETT) हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर में सोनौली–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी0 0.00 से किमी0 81.204 तक के 4 लेन चौड़करण में प्रयुक्त हो रहे 8.3137 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल 8.3746 हे0 आरक्षित/अवर्गीकृत वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है। इस परियोजना में Entire Tree Transplants (ETT) मान्य हेतु वचनबद्धता दी जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग
गोरखपुर

परियोजना निदेशक
Project Director
PIU NHAI
पी0आई0यू0
गोरखपुर

रोड़ साइड पट्टी पर वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर में सोनौली–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी0 0.00 से किमी0 81.204 तक के 4 लेन चौड़करण में प्रयुक्त हो रहे 8.3137 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल 8.3746 हे0 आरक्षित/अवर्गीकृत वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है। रोड़ साइड पट्टी पर वृक्षारोपण कराने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर	परियोजना निदेशक पी0आई0यू0 गोरखपुर

Project Director
P I U N H A I
Gorakhpur

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद–गोरखपुर में सोनौली–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी0 0.00 से किमी0 81.204 तक के 4 लेन चौड़करण में प्रयुक्त हो रहे 8.3746 हे0 आरक्षित वन भूमि पर बाधित होने वाले वृक्षों की सूची।

Forest Area :-8.3746 Ha.

Range:- Campirganj

S.No	Name	Botnical name	Gorakhpur forest division							
			0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	150 to above	Total	Cost
1	Shakhu	Shorea robusta	5	57	31				93	1049467
2	Shakhu Dry	Shorea robusta	2	22	3				27	120306
3	Arjun	Terminalia arjuna	16	57	3				76	152594
4	Jamun	Syzygium cumini	1	14	7				22	78533
5	Bargad	Ficus benghalensis		2	1				3	10751
6	Aam	Mangifera indica	8	4	8				20	71890
7	Peepal	Ficus religiosa			3				3	29900
8	Sisham	Dalbergia sissoo	18	3					21	25037
9	Sagon	Tectona grandis	67	30	1				98	266091
10	Sagon dry	Tectona grandis	1	1					2	5432
11	Rohni	Mallotus philippensis	2	4					6	8788
12	Bel	Argle marmelos	15	4	1				20	19006
13	Badhar	Artocarpus lacucha			2				2	14950
14	kadam	Neolamarckia cadamba		1					1	910
15	Tendu	Diospyros melanoxylon	3	17					20	36309
16	Gular	Ficus glomerata	1		1				2	5473
17	Siras	Albizia lebbeck	28	19					47	64548
18	Haldu	Adina cordifolia	0	1					1	910

Project Director
PIUNHAI
Gorakhpur

19	eucalyptus	Eucalyptus hybrid	7	27	5				39	54250
20	Chid	Pinus roxburghii	6	4					10	8710
21	Babul	Vachellia nilotica		2					2	3276
22	jangal jalebi	Pithecellobium dulce	4						4	1573
23	Mahua	Madhuca longifolia		2	3				5	15821
24	Kathal	Artocarpus heterophyllus			1				1	5083
25	Semal	Bombax ceiba	5	2	3				10	27163
26	Neem	Azadirachta indica	3	1					4	2093
27	Ashok	Saraca asoca	87						87	28725
28	Pakad	Ficus virens	1	1					2	3276
29	Nariyal	Cocos nucifera		5					5	12753
30	Kachnar	Bauhinia variegata	3	0					3	916
31	Amla	Phyllanthus emblica	35	0					35	12041
32	Asna		1	10					11	66713
33	Gulchaman			1					1	910
34	Gutel		36	11					47	14743
35	Akesiya		16	1					17	6440
36	Kanji		4	2					6	3393
37	Khanjhi			2					2	1820
38	Sali		35	13					48	28540
39	Molandi		13	3					16	7852
40	Tekui			1					1	910
41	Kokat		21	8					29	9295
		Total							849	2277191

Project Director
PIUNHAI
Gorakhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

सत्यमेव जयते

कार्यालय-परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-गोरखपुर
देव विला, सं0 3/40 बहार क्लस्टर-3, सहारा स्टेट, देवरिया बाईपास रोड, गोरखपुर-273010 (उ0प्र)
Office of the Project Director, Project Implementation Unit Gorakhpur
No. 3/40, Bahar Cluster-3, Sahara Estate, Deoria by Pass Road, Dist.- Gorakhpur - 273010 (U.P.)
दूरभाष/Tel. No. (0551) 2231040 ईमेल/email-gorakhpur@nhai.org.

NHAI/PIU/GKP/NH-29E/2022-23/ 5814

Dated: 07.09.2022

To,

Chief Engineer,
North East Railway,
Gorakhpur [redacted]

Sub.: Four Laning of Sonauli - Gorakhpur section of NH-29E from Design Ch. 0+000 to Design Ch. 79+540 (from Existing Ch. 0+000 to Existing Ch. 80+295) on Hybrid Annuity Mode in the state of Uttar Pradesh
-NOC i.r.t. Forest clearance proposal-reg.

Ref:- PCCF/Nodal Officer (Forest), Lucknow letter no. 847 dated 05.09.2022

Sir,

National Highways Authority of India (NHAI) Government of India has entrusted the work of "Four Laning of Sonauli - Gorakhpur section of NH-29E from Design Ch. 0+000 to Design Ch. 79+540 (from Existing Ch. 0+000 to Existing Ch. 80+295) on Hybrid Annuity Mode in the state of Uttar Pradesh".

2. Forest clearance proposal has been submitted to PCCF, Lucknow vide proposal no. FP/UP/Road/138464/2021. Subsequently, PCCF, Lucknow vide letter dated 05.09.2022 has raised observations i.r.t. NOC from railway department.

3. In view of the above, it is hereby requested to kindly provide NOC i.r.t. forest clearance proposal, so that further necessary action may be taken.

This is for your information and necessary action.

(C.M. Dwivedi)
GM(T)/Project Director

मुख्यालय : प्लाट सं0 जी-5 एवं 6, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली-110075
Head Office : Plot No. G 5 & 6, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075
वेबसाइट/Web Site : http:\\www.nhai.gov.in

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)
कार्यालय-परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-गोरखपुर
देव विला, सं0 3/40 बहार क्लस्टर-3, सहारा स्टेट, देवरिया बाईपास रोड, गोरखपुर-273010 (उ0प्र)
Office of the Project Director, Project Implementation Unit Gorakhpur
No. 3/40, Bahar Cluster-3, Sahara Estate, Deoria by Pass Road, Dist.- Gorakhpur - 273010 (U.P.)
दूरभाष/Tel. No. (0551) 2231040 ईमेल/email-gorakhpur@nhai.org.

सत्यमेव जयते

NHAI/PIU/GKP/NH-29E/2022-23/ 5215

Dated: 07.09.2022

To,

Executive Engineer,
Irrigation Division, Gorakhpur

Sub.: Four Laning of Sonauli - Gorakhpur section of NH-29E from Design Ch. 0+000 to Design Ch. 79+540 (from Existing Ch. 0+000 to Existing Ch. 80+295) on Hybrid Annuity Mode in the state of Uttar Pradesh
-NOC i.r.t. Forest clearance proposal-reg.

Ref:- PCCF/Nodal Officer (Forest), Lucknow letter no. 847 dated 05.09.2022

Sir,

National Highways Authority of India (NHAI) Government of India has entrusted the work of "Four Laning of Sonauli - Gorakhpur section of NH-29E from Design Ch. 0+000 to Design Ch. 79+540 (from Existing Ch. 0+000 to Existing Ch. 80+295) on Hybrid Annuity Mode in the state of Uttar Pradesh".

2. Forest clearance proposal has been submitted to PCCF, Lucknow vide proposal no. FP/UP/Road/138464/2021. Subsequently, PCCF, Lucknow vide letter dated 05.09.2022 has raised observations i.r.t. NOC from irrigation department.

3. In view of the above, it is hereby requested to kindly provide NOC i.r.t. forest clearance proposal, so that further necessary action may be taken.

This is for your information and necessary action.

(C.M. Dwivedi)
GM(T)/Project Director

Pro/proposal
9415037331

पीए
7-9-2022